because we are so much interested in this matter and so many rumours are afloat?

Shri Y. B. Chavan: I can read out the statement before the House and the House can certainly judge for itself what I ought to have done with referenec to the terms of reference. The objective lessons that need to be learnt have been shared. I have to banance between two things, namely, firstly, the necessity for not disclosing which is not consistent with the public interest; and, secondly, at the same time my keenness to share with the House what I should share with the House.

Some Hon. Members *rose—*

Shri Jashvant Mehta (Bhavnagar): May I know whether all the recommendations have been published.... (*Interruption*).

Mr. Speaker: I will again request hon. Members that they might look into the statement first. Then they can express their opinion.

Shri Hem Barua: In that case, it is better if the hon. Defence Minister reads out the statement.

Mr. Speaker: If he reads it out, I will have to allow some questions and if they are allowed then there will be no more opportunity for a discussion. The can choose either of these two. I am prepared to allow half an hour for questions also.

Shri Hem Barua: May I say one thing about this? If he reads it out and we ask certain questions, that will clarify the position and then the discussion that will follow will be a better discussion.

Mr. Speaker: No, the two things cannot go together. Bills to be....

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): We would like to know, before you proceed to the next item, whether a discussion can follow, as you just now said, as a matter of course or whether we would have to make a requisition.

Mr. Speaker: I said that requisition shall have to be made and then a decision can be taken. I have said that. Bills to be introduced. Shri B. R. Bhagat.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): *rose—*

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL*

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961.

Mr. Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961."

The motion was adopted.

Shri B. R. Bhagat: Sir, I introduce† the Bill.

12.08 hrs.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mehr Chand Khanna on the 29th August, 1963, namely:

> "That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, be taken into consideration."

Also, further consideration of amendment moved for reference of the Bill to Select Committee. Shri B. N. Mandal was in possession of the House. He may continue his speech.

---

*Published in the Gezette of India Extraordinary, Part Section 2, dated 2-9-1963.

†Introduced with the recommenda tion of the President.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): How much more time left, Sir?

Mr. Speaker: He told me that he may not be here on Monday; so, I gave him an opportunity on Friday. That is not fair.

Shri S. M. Banerjee: Because of rain we had to cancel all our engagements.

श्री भू० ना० मंडल : (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस रोज कह रहा था कि जो यह संशोधन का बिल लाया गया है और यह बिल जिस कानून का संशोधन करना चाहता है, वह सब चीज ऐसी है जिस पर फिर से विचार करना चाहिये । मैं ने यह भी कहा था कि सरकार को इस बिल को वापिस ले लेना चाहिये और सारी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिये । इस का कारण यह है कि मेरी मान्यता है कि यह जो बिल लाया गया है सदन के सामने, यह प्राकृतिक जो नियम हैं, उन के खिलाफ जाता है, मानवता के खिलाफ जाता है और साथ ही साथ हमारा जो भारत का संविधान है, उसके भी खिलाफ जाता है । इन सब कारणों से मैं ने यह कहा था कि सरकार को इस पर फिर से विचार करने के लिए इसे वापिस ले लेना चाहिये ।

संविधान के जो निदेश के नियम हैं, उन को पढ़ने से आप को मालूम हो जायेगा कि यह जो तरमीमी बिल लाया गया है और जो कानून बना हुआ है, वे दोनों संविधान के खिलाफ हैं । संविधान ने जो फंडेमेंटल राइट्स हिन्दुस्तान की जनता को दिये हैं, उस में कहा गया है :—

"All citizens shall have the riht—
to move freely throughout the territory of India;"

इसी के साथ यह भी कहा गया है :

"to reside and settle in any part of the territory of India;"

फिर कहा गया है :

"to acquire, hold and dispose of property;"

फिर कहा गया है :—

"to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

संविधान में जो यह मौकिल अधिकार हिन्दुस्तान के नागरिक को दिये गये हैं उन को इस बिल के जरिये से और उस कानून के जरिये से जोकि इस बिल के द्वारा तरमीम किया जा रहा है, छीना जा रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाय । अभी भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं जोकि फुट पाथ पर सोते हैं । कलकत्ता जैसे बड़े शहर में चार या पांच लाख की संख्या में लोग फुट पाथ पर सोते हैं । ऐसा ही हाल दूसरे बड़े बड़े शहरों का भी है । अभी हाल में अखबारों में निकला था कि लखनऊ शहर में कुछ आदमियों को जो सड़क पर सोये हुए थे, एक ट्रक ने कुचल दिया । जब हिन्दुस्तान की ऐसी हालत है कि यहां के लोगों के पास रहने के लिये न कोई घर है न कोई जमीन है, उस स्थिति में दिल्ली मास्टर प्लैन की बात करना, या उस मास्टर प्लैन को इम्प्लिमेंट करने के लिये जो बिल पेश किया गया, उसे पास करना एविक्शन के लिये ला बनाना, जैसाकि सरकार के लोग कर रहे हैं बिना यह सोचे हुए कि हिन्दुस्तान के जितने बाशिन्दे हैं वे सोयेंगे कहां, उन के शैल्टर की कोई जगह है या नहीं, यह बहुत अनुचित है । वह पहले इन सारी बातों को विचार लें, इस वक्त जो सब से बड़ी हिन्दुस्तान की योजना है, जिस को तृतीय पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उस के अन्तर्गत इस समस्या पर विचार कर के कि इस का क्या समाधान हो सकता है, तब

इस तरह के बिल को लाना चाहिये । आज नगरों के लिये छुट पुट तरीके से कहीं पटना मास्टर प्लैन के नाम से, कहीं दिल्ली मास्टर प्लन के नाम से या कहीं लखनऊ मास्टर प्लैन के नाम से, जो योजनायें बनाई जाती हैं उन का नतीजा यह होता है कि हमारे समाज का जो कमजोर अंग है, जो गरीब लोग हैं, जो दूसरी जगहों से आये हुए रिफ्यूजी हैं उन्ह तकलीफ उठानी पड़ती है, और उन की जो समस्या है उस पर ध्यान न दे कर हिन्दुस्तान के नागरिकों के जो हक हैं, खाने पीने, सोने और कार्य करने के, उन को उन से छीना जा रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या को गम्भीर समस्या समझ कर जो बिल आया है उस को वापस ले ले और वापस लेने के बाद इन चीजों पर विचार करे ।

मुझे इस बात पर बड़ा तरस आता है कि जब रिफ्यूजी पाकिस्तान से आये थे, उस समय गाडगिल साहब ने उन को जो आश्वासन दिया था और उस के बाद भी कई बार उन को आश्वासन दिया गया है, उस को इम्प्लिमेंट करने के बजाय यह नया संशोधन बिल लाया गया है । यह बिल इस लिये लाया गया है कि उन लोगों को भगाने की जो कार्रवाई है उस को और तीव्र किया जाये । उस में जल्दी की जाये । इस के लिये बिल में बहुत सी बातें दी गई हैं । जो अपील करने का टाइम था उस को भी घटाने की कोशिश की गई है, जो पहले नाजायज काम होते थे उन के लिये इंजंक्शन जो पहले कर सकते थ उस हक को भी छीना जा रहा है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को सरकार वापस ले और इस समस्या पर फिर से विचार करे ।

सरकार की ओर से जितनी कार्रवाई होती है उस को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कांग्रस सरकार हिन्दुस्तान में काम कर रही है वह यह नहीं समझती है कि वह समूचे देश की जनता की सरकार है । वह शायद यह समझती है कि वह हिन्दुस्तान के सफद टोपी वालों की सरकार है और उन्हीं के स्वार्थों के लिये उसे काम करना चाहिये । मैं इसलिये एसा कहता हूं कि जितने बड़ बड़े शहर हैं, उन की तरक्की के लिये जो काम किया जाता है वह यह कह कर किया जाता है कि स्लम क्लिअरेंस स्कीम चलाई गई है, जो हाउसिंग स्कीम चलाई गई है । इस ढग की बातें कही जाती हैं । सुनने में यह सब बातें बड़ी अच्छी मालूम पड़ती हैं लेकिन उन का नतीजा क्या होता है ? जो गरीब बाशिन्दे शहरों के होते हैं उन के घर को उन से छुड़ाया जाता है और छुड़ाने के बाद वे कहां बसेंग, उन के लिये अच्छा घर हो जायेगा या नहीं, इस की कोई योजना नहीं बनाई जाती है । उन की जमीन को छीन कर उन को उन के भाग्य पर छोड़ दिया जाता है । वे कहां रहेंगे, या रह पायेंगे या नहीं, इस का इन्तजाम उन्हीं लोगों को करना पड़ता है । जो जमीनें उन से छीनी जाती हैं, उन जगहों पर अच्छा मकान बना कर वह किन लोगों को दी जाती हैं ? वह सफदपोश लोगों को दी जाती हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उन को दी जाती हैं । ऐसा नहीं होता है कि उस जमीन पर पहले से रहने वाला जो आदमी है उस को मदद या करजा दे कर घर बना दिया जाय । बल्कि उन लोगों को उखाड़ दिया जाता है और उजाड़ कर उस जमीन पर जो घर बनाये जाते हैं वह दूसरे लोगों को दिये जाते हैं । इस से एसा मालूम पड़ता है कि शुरू जमाने से इस हिन्दुस्तान में और संसार के दूसरे भागों में अमीर और गरीब वर्ग की जो लड़ाई थी उसे यह कांग्रेसी सरकार अब भी कायम रखना चाहती है । जिस ढंग से पुराने जमाने में हुआ करता था, यानी जब दो गिरोहों में संघर्ष होता था तो जो विजयी गिरोह होता था वह विजित गिरोह को जान से मार देता था और उस की जमीन जायदाद को हड़प कर लेता था उसी तरह से आज भी कांग्रसी सरकार जो गरीब लोग हैं, उन की जमीनों

[श्री भू० ना० मंडल]

को छीन कर उन को अपने भाग्य पर छोड़ देती है, उन को घुल घुल कर मरने के लिये छोड़ देती है । मैं ने कहीं पढ़ा था कि आज से १०० वर्ष पूर्व ब्लैक और व्हाइट्स का जो रेशियो था व ८:१ का था । १०० वर्ष के बाद जो सेन्सस लिया गया उस से ऐसा मालूम हुआ कि जो ८:१ का रेशियो था वह कम हो कर २:१ का रह गया है । यानी ८ ब्लैक जो थे व घट कर २ पर आ गये हैं और व्हाइट १ ही हैं । हिन्दुस्तान में जो जीवन संघर्ष चल रहा है उस में गरीबों को मिटाया जा रहा है लेकिन सीधे तलवार के घाट न उतार कर उन को घुला घुला कर मारा जाता है । आज कांग्रेस सरकार की जो कार्रवाई है, उस की जो नीति चल रही है उस के जरिये मैं देखता हूं कि पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जो समाज का कमजोर अंग हैं, जो गरीब लोग हैं उन के लिये कोई सहारा, कोई दया या कोई सहानुभूति नहीं है । उन की सहानुभूति है पढ़े लिखे लोगों के लिये, अमीर लोगों के लिये, जो बड़े बड़े प्रभावशाली आदमी हैं चाहे वे गवर्नमेंट के हों या पार्टी के, ऐसे लोगों के साथ सरकार की बहुत सहानुभूति है ।

हिन्दुस्तान की सरकार आज जो रुपया खर्च करती है उस के सिलसिले में आप देखेंगे कि आज हिन्दुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अन्दर ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है । आप दिल्ली को ही ले लें । आप देखिये कि इस एरिया के लिये जितना रुपया खर्च किया गया है उतना रुपया हिन्दुस्तान में किसी दूसरी जगह पर, जोकि देहात में हो, खर्च किया गया है या नहीं । हमारे देश में जनतंत्र कायम हुआ है और जनतंत्र का मतलब है कि सब लोगों को बराबर का हक है । यह कौन सी बात है कि शहर के रहने वालों पर, जहां पर गवर्नमेंट के आदमी रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां की जमीनों पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाय और जो देहात के रहने वाले गरीब लोग हैं उन के ऊपर कम खर्च किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को कुछ तो खयाल कर रखना चाहिये कि जो बिल है सामने, उस की जो धाराय हैं उन्हीं पर बोलें । वे तो जनरल क्वेश्चन पर ज्यादा बोल रहे हैं । जो सवाल हमारे सामने है उस पर उन को बोलना चाहिये ।

श्री भू० ना० मंडल : आज जो बिल लाया गया है वह और इस के पहले जो ऐक्ट पास हुआ था वह दोनों ही एक ऐसी विचार-धारा, एक ऐसी मनोवृत्ति की उपज हैं जिस मनोवृत्ति के बारे में मैं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उस सारी मनोवृत्ति पर इस वक्त बहस नहीं हो सकती क्योंकि माननीय सदस्य के पास दस ही मिनट हैं ।

श्री भू० ना० मंडल : इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों पर विचार कर के इस बिल को वापस ले और जो देश के लोग हैं, यहां का समाज है, गांवों का रहने वाला समाज है, उस की सारी बातों पर विचार कर के जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उस में प्राविजन करे कि हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी बिना घर के नहीं रहेगा । जब तक उस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला नहीं जाता तब तक किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं बनना चाहिये । ये मास्टर प्लान गरीबों को उजाड़ने और उन को शहरों में न बसने देने के प्लान हैं ।

Mr. Speaker: I had called Shri A. S. Saigal, Shri D. C. Sharma, Shri Barupal, Shri M. L. Dwivedi....

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, you have not called me. I submitted that day very respectfully that I should be called that day because I was going to Chandigarh next day. But I was not called that day.

Mr. Speaker: I called him. That is what I am saying.

Shri D. C. Sharma: I submitted on Thursday that I should be called that day as I was going to Chandigarh that night. I was not called on that day. Therefore, I could not be here on Friday.

श्री प० ला० डाहलाल : (गंगानगर) : मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा समय की बात नहीं है । उन्हों ने क ा है कि थर्ड के बारे में कहा था, उस को देखूंगा । क्या आपने भी नाम देते वक्त कुछ कहा था कि आप को कब बुलाया जाय, या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जब वह यहां हों तभी उन को बुलाया जाय ।

श्री कछवाय : (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह भारत की राजधानी के लिये कलंक है कि इस की २८ लाख की आबादी में से सात लाख लोग गन्दी बस्तियों में और झुग्गी झोंपड़ियों में बसे हैं । हमारे शासन की यह धारणा है कि जो लोग इन स्थानों पर बसे हैं वे गुंडे और बदमाश लोग हैं ।

एक माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री कछवाय : हमारे शासक वर्ग की यह धारणा बिल्कुल गलत है । उन की यह धारणा क ां तक मुनासिब है यह शासन को सोचना चाहिए । इन कैम्पों के अन्दर रहने वाले लोग वे लोग हैं कि अगर वे दो रोज के लिए अपना काम छोड़ दें तो दिल्ली दिल्ली नजर न आए ।

इस दिल्ली को देखने के लिये बहुत से लोग विदेशों से और देश से भी रोज आते हैं । लेकिन जब वे दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उन को सब से पहले इन झुग्गी झोंपड़ियों के दर्शन होते हैं । इस राजधानी में ऐसे लोग हैं जैसे रिक्शा चलाने वाले, कंडक्टर, ड्राइवर, बीड़ी बनाने वाले, सुनार, नाई, धोबी, साइकिल मरम्मत करने वाले, रिक्शा मरम्मत करने वाले आदि मजदूर लोग हैं जिन के कन्धों पर संसद् भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, वायु भवन आदि बने हैं, और हमारे खन्ना साहब की कोठी भी इन्हीं मजदूरों के कन्धों पर बनी है, । मैं क ना चाह ता हूं कि उन के बारे में ऐसी धारणा रखना बहुत बुरी बात है ।

हमारे खन्ना जी द्वारा कुछ दिन पूर्व यह घोषणा की गई थी कि ५ जुलाई सन् १९६२ के बाद से इन झुग्गी वालों को फिर नहीं उजाड़ा जायगा । मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की योजनाएं बनती हैं और वे किस प्रकार बिगड़ती हैं ।

मेरा सुझाव है कि सन् १९५१ में जो सर्वे किया गया था, उस को फिर से कराया जाय क्योंकि उस वक्त जिस का लड़का या लड़की दस बारह साल का था वह आज शादी शुदा हो गया है और उस का अपना अलग परिवार है । अब फिर से सर्वे कराकर देखना चाहिये कि अब उस के परिवार में कितने आदमी हैं । और उतने लोगों के लिए जमीन दी जानी चाहिये ।

पहले सर्वे हुआ तो कहा गया कि उन को ८० वर्ग गज जमीन दी जायगी, फिर यह तै हुआ कि उन को २५ वर्ग गज भूमि देना चाहिये । मेरा यही आग्रह है कि उन के परिवार के लोगों की संख्या को देख कर उस के अनुसार जमीन दी जाय । जमीन देने के साथ साथ उन को एक हजार रुपये का कर्जा भी मकान बनाने के लिए दिया जाय । पहले शासन ने यह कर्जा देने की बात कही थी, लेकिन आज उस से इन्कार करता है । मेरा कहना है कि उन को मकान बनाने के लिए एक हजार का कर्जा अवश्य दिया जाय । मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि उन को इतनी

[श्री कछवाय]

तनखाह मिलती है। फिर भी वह कितने मकान बना सकते हैं। मकान बनाने में बड़ी कठिनाई आती है। आप सोचें कि जो आदमी आठ आने, बारह आने या रुपया दो रुपया रोज पदा करता है और उस में अपने परिवार वालों का पेट भरता है, वह किस प्रकार मकान बनाने के लिए पैसा जुटा सकता है। इस लिए उस को इस काम के लिए पैसा मिलना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इन लोगों के नोटिस आदि भेजे जायें वे हिन्दी में भजे जाएं। अभी इन को जो नोटिस और पत्र आदि भजे जाते हैं वे अंग्रजी में होते हैं, ये लोग उन को पढ़ नहीं सकते और दूसरों से पढ़ाते हैं, वे लोग इन को डाल भी रखते हैं। इसलिए मेरी मंत्री जी से नम्रतापूर्वक अपील है कि इन लोगों को हिन्दी में पत्रव्यवहार किया जाये।

अब मैं उन को बसाने के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मेरा उन की झुग्गी तोड़ने से कोई विरोध नहीं है लेकिन उन को उजाड़ने से पहले उन को बसाना चाहिए कि उन को वहां बसाया जाय। उन को बसाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन को रोजगार कहां है, और कहां व अपना दाना पैदा करते हैं, कहां वे नौकरी करते हैं। उन को शहर से दूर न बसाया जाय क्योंकि उन को दूर बसाने स उन को अपने रोजगार तक आना बहुत महंगा पड़ता है। उन को शहर के पास के स्थानों में बसाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं आप को कुछ स्थानों के नाम बता सकता हूं, जैसे भुतियारी, धौला कुंआ, जीतगढ़ क्षेत्र में कबरिस्तान, मोती महल। ये चार पांच स्थान एसे हैं जोकि शहर के मध्य में हैं।

अध्यक्ष महोदय : मोती महल कहां है?

श्री कछवाय : मोती पहाड़ी।

अध्यक्ष महोदय : महाराजा पटियाला अपने महल को मोती महल कहते हैं। शायद आप का मतलब उस से हो।

श्री कछवाय : मैं इस के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। दिल्ली में एसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां जहरीले जानवर रहते हैं, बहुत से कबरिस्तान हैं जहां इन मेहनतकश मजदूरों ने बस्तियां आबाद कर ली हैं। उन को वहां से बार बार उजाड़ा जाता है। यह प्रथा खत्म होनी चाहिए।

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि हम कब्रिस्तान तोड़ कर वहां बस्तियां बसाते हैं, तो यह दुरुस्त नहीं है। हमारे लिए कबरिस्तान, मंदिर, मस्जिद वगैरह मुतबर्रक जगहें हैं। हमने उन को नहीं उजाड़ा और न उजाड़ना चाहते हैं। किसी सिक्यूलर स्टेट में यह चीज मुनाबिस नहीं है।

श्री कछवाय : इस संबंध में मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो कबरिस्तान हैं उन के मुखिया लोगों ने इन गरीब लोगों को व कबरिस्तान किराए पर बसने के लिए दिए हैं। और वहां ये लोग हजारों की तादाद में, करीब ७०००, बसे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कबरिस्तान किराए पर दिया है।

श्री कछवाय : जी हां। मलकागंज में कब्रों के जो मुखिया हैं और जो पंचायत के मुखिया हैं उन्होंने किराए पर इन गरीब लोगों को बसाया है और वहां आज से नहीं पन्द्रह पन्द्रह साल से ये लोग बसे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कबरिस्तान जिन्दों के लिए किराए पर दिया जाता है या मुरदों के लिए?

श्री कछवाय : मेरा शर्मा जी से नम्र निवेदन है कि वह मेरे साथ चलें, मैं उनको

उन कबरिस्तानों में ले जाऊंगा जहां पर ये गरीब लोग किराए पर बसे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको वैसी जगह पर ले जाएंगे जहां से रोज यहां वापस आ सके ?

श्री कछवाय : वही तो मैं कह रहा हूं ।

इसके अलावा बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में मन्त्री महोदय ने इलैक्शन के वक्त आश्वासन दिया था कि बस जाओ, मैं तुम को बसने के लिए जगह देता हूं । आज मन्त्री महोदय के कहने के अनुसार जो लोग इस तरह बस गए थे उनको फिर उजाड़ा जाएगा । और वे लोग जब जाकर मन्त्री महोदय से कहते हैं कि आपने हमको आश्वासन दिया था कि यहां झुग्गी डाल लो और अब हमको हटाया जा रहा है, तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि आपने सरकार को जिताने के लिए वोट दिया था, आपने सरकार को जिता दिया, इसलिए अब आप अपनी झुग्गियां हटा लीजिए । जब लोग माननीय मन्त्री जी से मिलने आते हैं तो उनसे यह कहा जाता है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं और कुछ कह नहीं सकता ।

श्री कछवाय : मैं इस सम्बन्ध में सबूत दे सकता हूं कि किस दिन आपने यह कहा, कितने बजे कहा, किस वक्त आपने उनको आश्वासन दिए और उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे । उन लोगों के नाम दूंगा और यह बताऊंगा कि किन बस्तियों के वह लोग थे । मैं आपको इसका सारा विवरण दे सकता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है, उनको अब खत्म करना चाहिए ।

श्री कछवाय : मैं एक मिनट में समाप्त किये दे रहा हूं ।

बस्ती में जो लोग रहते हैं उनसे खाली कराने के बाद जमींदारों से मुआविजा लिया जाता है । इस बारे में मेरा कहना यह है कि जब उनसे मुआविजा लिया जाय तो झुग्गियों और झोंपड़ियों में बसे हुए लोगों को भी मुआविजा पाने का अधिकार होना चाहिए और उनको भी उसका मुआविजा देना चाहिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रिणी महोदया डा० सुशीला नायर ने ८० गज के प्लाट्स देने का विरोध किया है । अब मेरी तो समझ में नहीं आता कि हमारी मंत्रिणी जी स्वास्थ्य मन्त्री होने के नाते किस प्रकार ८० गज के विरुद्ध हैं और क्या वह समझती हैं कि २५ गज के प्लाट के भीतर एक परिवार अपना जीवन स्वस्थ वातावरण में व्यतीत कर सकेगा ? उस छोटे से २५ गज के प्लाट में पूरे परिवार के रहने से उस परिवार वालों के स्वास्थ्य पर कैसा असर होगा, क्या इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है ? मेरी समझ में नहीं आया कि यह २५ गज का निर्णय उन्होंने किस प्रकार से लिया ?

इस बिल के अन्दर बतलाया गया है कि जिस तारीख को नोटिस दिया जाएगा उससे पूर्व तीन साल जिन व्यक्तियों को उन जगहों में रहते हो चुके होंगे, उनको केवल ९० दिन की एक सहूलियत की मियाद दी जायगी ताकि वह इस ९० दिन के भीतर अपनी झुग्गियां खाली कर दें । मेरा मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक नम्र सुझाव है कि जिस व्यक्ति को एक स्थान में रहते हुए एक साल हो गया हो, उसको उसी स्थान पर रहने देना चाहिए और अगर उसे खाली करने का नोटिस दिया भी जाय और उसको उसकी जगह से सरकार हटाना चाहती है तो उसको ऐसी स्थायी जगह पर बसाया जाय और दूसरी जगह देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाय कि उसका

[श्री कछवाय]

काम धंधा वहां से दूर न हो । निकट में ही उसका काम धंधा होना चाहिए । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह तीन साल की कैद हटा दी जाय और यह कर दिया जाय कि जो व्यक्ति जिन जगहों पर साल से रहते चले आ रहे हैं, उनको स्थायी जगह दी जाय और वह जगहें उनके काम के धंधों के निकट हों. .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त कर दें ।

श्री कछवाय : बस केवल एक बात कह कर मैं बठ जाता हूं ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह लोग बाहर से और लोगों को बुलवा लेते हैं । अब जब देहातों के अन्दर बेकारी बढ़ती जाती है, लोगों को काम धंधा कुछ मिलता नहीं है तो वे बेचारे अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए शहरों की तरफ भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं । इसके सिवाय उनके पास दूसरा कोई चारा रहता ही नहीं है । शहरों में मजदूरी की तलाश में यह लोग आ जाते हैं । अब दिल्ली शहर को ही ले लीजिये जहां कि प्रति साल एक लाख से ज्यादा आबादी बढ़ती जा रही है । अब जिस गति से हर साल आबादी बढ़ती जा रही है उस रफ्तार से हम लोगों को ठीक तरीके से बसा नहीं पा रहे हैं । उनके आवास का प्रबन्ध सरकार ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है ।

मुझे आशा है कि मैंने जो चन्द एक सुझाव दिये हैं उन पर मन्त्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और यह तीन साल से रहते आने की जो कैद है उसको खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह एक साल कर दिया जाय । फिर से सर्वे कराया जाय ।

Shri D. C. Sharma: I agree with the hon. Minister that it is an amending Bill, and that the principles of this Bill have already been accepted by the House, but I want to ask him how far an amending Bill can go beyond the limits of the original Bill. We are used to amending Bills, and the changes introduced in them are not fundamental or vital: they are of a clarificatory or explanatory nature.

But if we compare this amending Bill with the original Bill, we find that this new child has absolutely no resemblance to the parent Bill. They have brought forward a freakish child which has nothing to do with the Bill that this House passed.

I do not know why this Bill should be called an amending Bill. In his introductory speech, the hon. Minister listed three problems, and I believe you cannot have a cure for all these three problems in this amending Bill. He must bring forward three different Bills in order to cure them.

For instance, there should be one Bill for the resettlement of the *jhuggi* and *jhompri* dwellers. This resettlement can be a continuous process. I do not think it is possible to stop their entry into the city, and I think they will go on increasing in number. You cannot set a deadline and say that you will accommodate only those who came here before 15th August, 1960 or whatever the date. This is not logic, this is not law, and certainly this is not humanity.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): What is it?

Shri D. C. Sharma: It is something which comes from the brain of a genleman who was at one time the Minister of Rehabilitation, a good man, seeing eye to eye with suffering refugees. Unfortunately, he has become the Minister of Works and Housing now. He does not think now of the resettlement of *jhuggi* and *jhompri* dwellers. He now thinks in terms of the Master Plan.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Of which he is not the master.

Shri D. C. Sharma: I therefore appeal to Shri Mehr Chand Khanna, who did good service to the refugees all over the country, and I want him to forget that now he is the Minister of Works and Housing. I do not mind his having a Master Plan for Delhi, but I do not want him to have a Master Plan for Delhi at the expense of the refugees, the *jhuggi* and *jhompri* dwellers and the poor and downtrodden people to whom reference was made by Shri Kachhavaiya.

Therefore, I would say that three different Bills are needed, firstly for the resettlement of the *jhuggi* and *jhompri* dwellers. Have a Master Plan for that, not a Master Plan for Delhi, gobbling up Ghaziabad and everything else. Delhi has become a monster whose appetite cannot be satisfied. I do not like to have this city as a monster which has an insatiable appetite for land stretching for miles this way and that. I think we should cry a halt to the insatiable appetite of this new monster that we have created.

The second Bill should be for those who belong to the big income groups. An M.P. refuses to vacate his house. He referred to some M.Ps. who are always in trouble. Even though we are the masters of this House, we are always held up as examples of something which we might have done or which we might not have done. It is our misfortune. But I can tell you that there are Government servants in this city of Delhi, the guardian of whose houses is my hon. friend Shri Mehr Chand Khanna. They retired long ago but refuse to vacate the houses which they occupied when they were holding substantial jobs in the Government of India or in Delhi administration. Why does he not lay his hands on them? Some Bill should deal with such persons who on account of their influence and money and official and non-official connections are in such a position as to flout the genuine wishes and genuine desires of the Ministry of Works and Housing. It shoudld be a separate Bill because it is not going to deal with the common people, average persons; it is going to deal with persons who belong to the high income brackets. He should bring forward, if he likes, a Bill for the eviction of those persons who have re-occupied those premises which they held once. What is this 'occupation' and 're-occupation'? What are the legal repercussions of the words 'occupation', 'eviction', 're-occupation' 're-eviction'? I do not think the hon. Minister has gone fully and comprehensively into this question. He has brought forward a Bill which deals with, if I may say so, summary procedure, summary trial and summary punishment. I met one day a retired Chief Justice of the Supreme Court and he said to me: as long as the courts of justice are here, there will not be a revolution in India but the moment you try to bid good-bye to the legal and justiciable procedure and judicial procedures of this country, the common man will think that nothing stands between him and the executive. The executive will get a strange-hold on the people.

I have known this gentleman for a very long time.

Mr. Speaker: This is not the way he should say things.

Shri D. C. Sharma: I have known the hon. Minister, Mr. Speaker, for a very long time. He has a soft heart and pleasing manners and he is out to do good. But the difficulty is that the change of portfolio has worked havoc so far as his attitude goes. Therefore, I say that he should try to do this. You must bring a Bill.

Mr. Speaker: He will kindly continue to address the Chair.

Shri D. C. Sharma: I am sorry. I am addressing you but sometimes I say things which should not be said to you.

Mr. Speaker: I will tolerate all that.

Shri D. C. Sharma: You are very kind. I was submitting that he could bring a separate Bill. In that Bill no concession and no judicial power

[Shri D. C. Sharma]

which had already been given in the original Bill should be withdrawn. The utmost hardship that one could cause is to withdraw them. Now, what are they? 45 days is reduced to 30 days. After all you require consultation to give notice. Whatever you may say, legal process in this country is a dilatory process. If the Minister had been well meaning, he would have said: for 45 days, it should be sixty days because as time passes the legal process is getting more and more complicated and cumbersome and dilatory. Where is the logic in reducing 45 days to 30 days? Now, in subsection (2), for the words thirty days he wants fifteen days to be substituted. 45 substituted by 30, that is, 66 per cent; 30 substituted by 15, that is, 50 per cent and if there is similar provision somewhere else, the hon. Minister would have brought it to 25 per cent. There is a gradual and progressive decline in the right of the litigant public to enter their protests against what has been done to them. If this period is reduced, it is in effect taking away their right.

The most beautiful clause of the whole Bill is clause 8. No democratic country, Sir, can tolerate a clause like this, where they bid good-bye to the normal and regular and well established process of law. They say no injunction shall be granted by any court of law. The hon. Minister's work would have been very much lightened if he had said in this Bill that the courts of law will not listen to these cases; that they will have no jurisdiction over these cases; only the estate officers, these glorified officers, will exercise all these rights. I wish well to the Estate officers; they are good people; I have nothing to say against them. But I may tell you that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. If you give so much power to these estate officers, I am sure it will go to their heads.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri D. C. Sharma: There is this clause about arrears of rent. A gentleman there was talking about Kabristan. Very good.

Mr. Speaker: In our rules, it says that if a reference is to be made to any hon. Member he should be addressed as 'hon. Member'.

Shri D. C. Sharma: An hon. Member referred to this point: arrears of rent and assessment of damages. It is to be paid not only by the person who is occupying the premises but by his sons and grandsons, his heirs and successors. There is a saying in the Bible. It is said that the grandfather had eaten sour grapes and the teeth of the children have been sent on edge. This is from the Holy Bible for which we have utmost respect, and it expresses an unexceptionable truth and a fine sentiment and what is that? You should not punish anybody else for the wrongs that somebody else had done. But here, the liability passes on and on. Therefore, I think even those persons who have gone to the *kabaristhan or* who have gone to *smashan ghat* or who lie buried in cemeteries will rise in their graves when they hear of this Bill.

I know the Minister means well, and I have no quarrel with the Minister. But I would ask him to withdraw this Bill. An hon. friend of mine has said that this should be referred to the Select Committee. What will the Select Committee do? The select Committee is not going to do anything. It may raise 30 days to 35 days or say that 15 days must be raised to 25 days. Apart from this, what will they do?

Shri S. M. Banerjee: Some clauses may be omitted.

Shri D. C. Sharma: Therefore, I say that the only honourable course open to the Minister is this. I am saying this to him because he has the good of the persons at heart, and he has utmost good feelings for those persons and that is why I am making this humble submission to him: that

he should withdraw this Bill in all fairness to the House and to all those people, to the commoners, and he should come forward with three different Bills. I can assure him that he will get the universal support of this House. It is no use mixing things which cannot be mixed; it is no use combining things which cannot be combined; it is no use reconciling things which cannot be reconciled. I think therefore that this Bill is a hotchpotch. It is an explosive mixture; it is a mixture which cannot stand any logic, let alone sentiment. I would, therefore, request him through you that he should now forget that he is interested in the Master Plan for sometime and he should remember that he is there to safeguard the interests of those refugees to whom he acted as a guardian for a long time . . .

An Hon. Member: And labourers.

Shri D. C. Sharma: Yes; labourers also. Let it not be said about him that he was responsible for uprooting those persons to whom he had given shelter; let it not be said about him that he was responsible for trying to do harm to those people who befriended him. He was their friend and I want him to continue to be their friend. The only thing he can do is that he should withdraw this Bill and bring in three separate Bills.

Shri Lahri Singh (Rohtak) *rose—*

Mr. Speaker: I will give Shri Lahri Singh an opportunity while we discuss the clauses.

श्री प० ला० बारूपात्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उस के संबंध में मैं अपने कुछ बिचार आप के सामने रखना चाहता हूं । यह मानी हुई बात है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान हालत को देखते हुए झुग्गियों तथा झोंपड़ियों का इस तरह से बने रहना असम्भव बात है । लेकिन मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीबों की समस्या क्या है, किस तरह से उसको हल किया जा सकता है, उन को क्या देना है, किस तरीके से देना है, किस प्रकार से उन को सहूलियत हो सकती है, यह सब देख कर अगर इस समस्या को हल किया जाए तो अच्छा होगा । अगर उन को ठीक प्रकार से तथा संतोषजनक ढंग से दूसरी जगह पर बसाया जा सकता है तो बसा दिया जाना चाहिये ।

मैं खन्ना साहब के मंत्रालय का बहुत शुक्रगुज़ार हूं उस सब के लिए जो काम कि उसने किये हैं । हमारे राजस्थान के अन्दर जो काम इस मंत्रालय ने किए हैं, उस से हमें बहुत संतोष हुआ है । पहले मैं उन से लड़ा करता था । लेकिन बाद में मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे ढंग से काम हुआ है । अब अगर आप किसी को एक जगह पर बसाते हैं तो दुबारा ऐसा मौका नहीं आना चाहिये कि उनको वहां से हटाना पड़े ।

झुग्गी वालों की क्या दशा है, किस तरह से वे वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके संबंध में मैंने कुछ लिखा है जिस को मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं ।

मजदूरों की यही जिन्दगी,
हंस हंस जीयें झुग्गी में ।
बहु सास की, सास बहू की,
लाज बचावे झुग्गी में ।
टूटी खाट और फटे बिस्तरे,
बर्तन भाण्डे झुग्गी में ।
दीप नहीं, मन दीप जला कर,
रात बितायें झुग्गी में ।
मस्त जवानी के मतवाले,
मस्ती ले रहे झुग्गी में ।
प्रसव पीड़ा से व्याकुल मां,
बच्चे जनती झुग्गी में ।
छोटे बच्चे लोरी स्वप्न संग,
निद्रा लेवें झुग्गी में ।
वर्षा ऋतु की वर्षा से,
पानी टपके झुग्गी में ।
ग्रीष्म काल की गर्मी से,
बहे पसीना झुग्गी में ।

[श्री प० ला० बारूपाल]

शीतकाल की सर्दी से,
मानव ठुरावे झुग्गी में ।
मरना परना हंसना रोना,
खेल तमाशा झुग्गी में ।
होली दीवाली भारत के सब,
पर्व झूमते झुग्गी में ।
बेकारी भुखमरी बीमारी,
पनाह पा रही झुग्गी में ।
युग बदला सरकार बदल गई,
पर नर न बदला झुग्गी में ।

अध्यक्ष महोदय : यह सारी रचना आपकी है ?

श्री प० ला० बारूपाल : जी हां, मेरी रचना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह रचना आप और वक्त कर सकते हैं । अपने शब्दों में आप अब बोल लें । पोयटरी में सेंटीमेंटस को लाना नहीं चाहिये ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन की जो दशा है उस का चित्र खींच रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : कोई एक आध लाइन किसी की ली गई होती तो उस की मैं इजाजत दे सकता था । किसी को कोट करते तो उस की भी इजाजत दी जा सकती थी । सारी रचना को पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है ।

श्री प० ला० बारूपाल : मेरा कहने का मतलब यह था कि गांधी जी के जो बिचार इन झुग्गी वालों के बारे में थे, उन पर ध्यान दिया जाए और उस को अमल में लाया जाये । मैं कहना चाहता था कि समाजवाद और सच्ची क्रान्ति इन झुग्गियों में रहती है और गांधी जी के जितने सपने थे, उन को इन झुग्गियों में साकार करना चाहिये । हम अपने देश में समाजवाद की रचना करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि जो जनता इन झुग्गियों में रहती है और जो उस को हटाने के बाद आप प्लाट बनायें और जो आप बहुत रुपये ले कर बेचते हैं, वह सब पैसा जितना भी हो, तथा उन प्लाटों से जो इनकम हो, वह सब इनकम झुग्गी झौंपड़ी वालों पर खर्च की जाए, उन पर लगाई जाए ।

दिल्ली के आस पास बहुत से लोगों ने शायद अनआथोराइज्ड स्ट्रक्चर खड़े कर रखे हैं । इनके बारे में काफी शराबा भी हुआ है । उनके बारे में जो पीरियड था वह भी बढ़ाया गया था । मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने दो हजार तथा इससे ज्यादा रुपया लगा कर मकान बना लिये हैं, उनके उन मकानों को न तोड़ा जाए, उनको आथोराइज्ड मान लिया जाए अगर सही तरीके से वे बने हुए हैं तो ।

मैं न्यू पूसा रोड की तरफ भी गया हूं, वहां पर भी मैंने देखा है । मैं बारह साल से पार्लिमेंट का मेम्बर हूं और कोई बीस साल से मेरा सम्बन्ध दिल्ली से है । तीन लाख राजस्थानी यहां पर काम करते हैं । उनका काम पत्थर तोड़ना, सड़क बनाना आदि है । उन्होंने यह रिजर्व बैंक की बिल्डिंग और पार्लिमेंट हाउस वगैरह बनाया है । और भी न जाने कितनी बिल्डिंग्ज उन्होंने बनाई है । गगनचुम्बी भवन बनाये हैं । लेकिन दुःख होता है यह देख कर कि जिन्होंने इन तमाम आलीशान इमारतों को बनाया है, उनके पास रहने के लिए अपने वास्ते कोई मकान नहीं है, कोई उनका घर नहीं है । सरकार खुद क्वार्टर बनवा कर जिनमें आधुनिक सुविधायें हों, पानी हो, बिजली हो तथा दूसरा प्रकार की सुविधाय हों, उनको किराये पर भी दे दे तो भी वे लोग उनमें रहने के लिए तैयार होंगे । मैं चाहता हूं कि इस सुझाव पर विचार किया जाए ।

इस बिल को मैं यह भी चाहता हूं कि सर्क्युलेट किया जाए या एक कमेटी मुकर्रर

करके उसके सुपुर्द किया जाए । यह बहुत बड़ी समस्या है, सारे देश की समस्या है । मैंने बार बार कहा है कि देश का मतलब बड़े बड़े लोगों से नहीं है, या बड़े बड़े भवनों से नहीं है, नदी पहाड़ों से भी देश नहीं बनता है, कल कारखाने भी आप बना दें, तब भी वह देश नहीं है । जो मजदूर लोग हैं, तमाम ४५ करोड़ जनता है, जो उस देश में रहती है, उसका चौमुखी विकास होगा, तभी वह देश कहलायेगा, तभी उस देश का विकास हुआ समझा जाएगा । देश का सम्बन्ध उसके नागरिकों से होता है और नागरिकों की उन्नति हो तभी देश की उन्नति हुई समझी जा सकती है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जो भी कदम उठायें, सही कदम उठायें । यह मानना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते हैं कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को न हटाया जाए, जो लोग उनमें जाकर गलतफहमी फैलाते हैं, जो लोग उनसे जुलूस निकलवाते हैं या सरकार के खिलाफ उकसाते हैं, उनको जलसे करने पर मजबूर करते हैं, प्रदर्शन करने की उनको सलाह देते हैं, उन लोगों के उन कामों को मैं गलत काम मानता हूं । आज के प्रदर्शनों से काम नहीं चल सकता है । यह आपात् समय है । इसमें सबको काम करना है । इस तरह के प्रदर्शन करवा कर, सरकार का समय भी बरबाद होता है और मजदूरों का भी । मैं चाहता हूं कि सरकार को काम करने का मौका दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर ।

श्री कछवाय : हिन्दी में जवाब दीजिये ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : तीन दिन से इस बिल पर बहस चल रही है । मैंने तमाम बहस को बड़े गौर से सुना है । कभी तो मुझे यह खयाल आता था कि जो मेरा पुराना मन्त्रालय था जिसका शरणार्थियों के साथ ताल्लुक था, आया उसके मुताल्लिक बहस हो रही है या फिर यह सोचता था कि जो गाडगील साहब ने कुछ आश्वासन दिये थे १९५० में या १९५१ में उनका जिक्र हो रहा है । लेकिन बाज औकात यह भी ख्याल हो जाता था कि शायद ऐसा . . .

श्री हरि विष्णु कामत : आप की इजाजत से, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह इतना अहम बिल है कि इसके लिये कोरम की आवश्यकता है हाउस में । मिनिस्टर को सुनने के लिये और बिल की अहमियत को देखते हुए कोरम तो चाहिए ही ।

13.08 hrs.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मन्त्री महोदय ने अभी काका गाडगिल के किये हुए वादे का जिक्र किया । मेरी दरख्वास्त यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है मन्त्री महोदय ने भी चुनाव के वक्त उन लोगों से वादा किया था कि उन झुग्गियों का ख्याल रक्खा जायेगा, उनके लिये कुछ प्रबन्ध किया जायेगा । क्या मन्त्री जी इसका भी कुछ जवाब देंगे ?

श्री हरि विष्णु कामत : लेकिन कोरम तो पहले हो जाय ।

एक माननीय सदस्य : अब तो एक बज चुका है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं अर्ज कर रहा था कि बाज औकात मुझे यह भी ख्याल आया कि जिन मेम्बर साहबान ने इस बिल के मुताल्लिक बहस में हिस्सा लिया, आया दरहकीकत उन्होंने बिल को पढ़ा भी है या नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : पढ़ा है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे बोलने की इजाजत तो दीजिए । पता नहीं पढ़ा है या नहीं क्योंकि अगर पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि जो बिल का उसूल था वह तो सन् १९५८ में ही तय हुआ था । पांच वर्ष तक बिल लागू रहा । और आज जो बिल मैं लाया हूं उसमें कोई ऐसी तरमीम नहीं है, कोई ऐसे अमेंडमेंट नहीं हैं जो कि इस बिल के

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

विरुद्ध जाती हों । यह बात अलाहदा है कि आप यहां कहें कि हमने अपने वायदे तोड़ दिये हैं । आप चाहते हैं इंजक्शन न हो, यह चीज ठीक है, लेकिन जहां तक बुनियादी उसूल का ताल्लुक है, फंडामेंटलस का ताल्लुक है, उसमें कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमने बिल में कोई फंडामेंटल चेंज लाने की कोशिश की है । दूसरी बात यह है कि मेम्बर साहबान ने जो तरमीमें दी हैं अमेंडमेंट्स दिये हैं, वह भी मुझ को नहीं बतलाते कि उनको इस बिल से कोई खास विरोध है । बहुत मामूली तरमीमें हैं । ३० दिन के १५ दिन न हों, इंजैक्शन न हो, यह कोई तरमीमें नहीं हैं । हां हमारे माननीय सदस्य जो कानपुर के हैं उन्होंने यह सुझाव जरूर दिया है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जाय । ठीक है ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि कहा गया कि "हम कैसे इस वजीर पर एतबार कर सकते हैं जिसने पिछले वजीर गैडगिल साहब ने जो आश्वासन दिया था उस का पालन नहीं किया ? जो नया आश्वासन आप देंगे उसकी क्या कीमत होगी ?" गैडगिल साहब ने जो भी आश्वासन दिया था, मेरा तो उस समय इस मन्त्रालय से ताल्लुक न था। जनाब स्पीकर साहब, आप बड़े अर्से से दिल्ली में रह रहे हैं, आप भी शरणार्थी हैं और मैं भी शरणार्थी हूं । यह मेरी किस्मत है या बदकिस्मती है, अगर मेम्बर साहबान का यह ख्याल है . . .

श्री नाथ पाई : आप अभी तक शरणार्थी हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं जवाब दे रहा हूं . . .

श्री नाथ पाई : आप अपने को शरणार्थी कहते हैं तो हमारा अपमान होता है । आप अब शरणार्थी नहीं हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : स्पीकर साहब, आप भी शरणार्थी थे और मैं भी शरणार्थी था, हिन्दुस्तान में आये थे उस हिस्से से जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है । यह मैं इस लिये अर्ज कर रहा हूं कि आप का भी शरणार्थियों के साथ बहुत ताल्लुक रहा और आपने बहुत हिस्सा लिया उनके बसाने में । जिस वक्त गैडगिल साहब ने वह विश्वास दिलाया था . . .

श्री हरि विष्णु कामत : उनका नाम गाडगील है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि वह उसी इलाके के रहने वाले हैं । उनका कहना है कि उनका नाम गाडगिल है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना: उनका नाम गाडगिल है ? मैं माफी मांगता हूं । मैं काका गाडगिल कहूंगा । मुझे कोई इंकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह बार बार इंटरफिअरेंस होगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : उन्होंने कहा था कि एक सेक्टरवाइज क्लिअरेंस स्कीम होनी चाहिये और उसके मातहत जो तमाम रिफ्यूजी इलाके हैं उनकी सफाई होनी चाहिये, और जो रिफ्यूजी भाई उस वक्त बस चुके थे, अगर उनको उठाया जाय तो उनके लिये कोई न कोई अल्टरनेटिव जगह देनी चाहिये । मैंने सन् १९५० में एक बड़ी भारी स्कीम बनाई और उस सेक्टरवाइज स्कीम के नीचे तमाम दिल्ली को साफ किया । आज १३ वर्ष के बाद उसे भूल जाना ठीक ही है । कुछ भाई नये आये हैं लेकिन जो पुराने हैं वह जानते हैं कि दिल्ली क्या थी उस वक्त । चांदनी चौक का नजारा हमारे सामने है, फैज रोड है, पुरानी दिल्ली का स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, कैनाट सर्कस है, लाखों की तादाद में हमारे शरणार्थी भाई सड़कों पर खड़े थे, और उनकी समस्या जो थी उस वक्त, हम जानते हैं । तो हमने सेक्टरवाइज क्लियरेंस स्कीम बनाई । उस के नीचे कम से

कम ६० हजार यूनिट्स हम ने दूकानों और प्लाट्स वगरह दिल्ली में बनाये जिस पर करीब २५ करोड़ रु० के खर्च आया । हम ने तकरीबन २५ या ३० शापिंग सेंटर बनाये, हम ने पन्द्रह के करीब टाउनशिप्स बनाई । सब के नाम यहां क्या दूं लेकिन राजेन्द्र नगर है, पटल नगर है, मोती नगर, है, रमेश नगर है, तिलक नगर है, इसी तरह लाजपत नगर है, निजामुद्दीन है, जंगपुरा है, कालका जी है जो कि सामने है । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस को हम छिपा सकते हैं । लाखों की तादाद में शरणार्थी वहां बसाये गये । वहां हमने उनको किरायेदार बना कर नहीं रक्खा बल्कि उन्हें हम ने मालिक बनाया । फिर मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे भाई थे जिन्होंने जमीन पर उस वक्त नाजायज कब्जा किया था और आज तक वह नाजायज कब्जा जारी है ।

इस के मुताल्लिक मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक कमेटी बनी, जिस के सदर थे श्री ए० के० चन्दा, जो कि मेरे मंत्रालय में, जिस का नाम अब वर्क्स हाउसिंग और रिहैबिलिटेशन है और पहले सुप्लाईस था, छोटे मंत्री थे । जो कमेटी बनी सन् १९६० में उस के मम्बर थ : श्रीमती सुचेता कृपलानी श्री ठाकुर दास भार्गव और श्री जसपत राय कपूर । उस के बाद श्री राधा रमण हुए । उस कमेटी की जो टर्म्स आफ रिफरेंस थीं वह भी मैं पढ़ देता हूं और उनमें जो मोटी मोटी चीजें हैं जिन का कमेटी ने जिक्र किया है वह भी मैं हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं, जिस से आप को अन्दाजा लग जायेगा कि काका गाडगिल ने जो ऐश्योरेंस दिया था उसे पूरा किया गया है या नहीं, और अगर नहीं किया गया है तो उस की वजह क्या थी ?

13.08 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Sir, it is written here:

"The terms of reference of this Committee were:—

(1) To review the cases of unauthorised structures put up by displaced persons on Government land prior to 15th August, 1950 and to examine which of them comply or fairly comply or with suitable modifications may be made fairly to comply with the municipal requirements and town improvement standards.

(2) To take proper steps for the expeditious regularisation of such structures which fulfil the minimum requirements to be prescribed in this respect by the Committee."

Now, Sir, let me take a few instances. First I take Poorvi Marg about which a reference was made. Here it is said:

"It was reported that there were only 5 eligible displaced persons in this area. It was found that the structures put up by these persons were encroaching into the right of way of Poorvi Marg, and it was necessary to remove these structures for effecting the widening of Poorvi Marg, for its growing traffic needs."

Then I come to recommendation No. 2—Pusa Road Corner Plot. It says:

"It was found on examination that there were only seven eligible squatters in this plot, which measured about 1900 sq. yds. The structures were irregularly built and there was no proper service land. The structures as they exist could not be regularised as they would not satisfy municipal requirements."

The third recommendation is about the area between Faiz Road and M. M.

[Shri Mehrchand Khanna]

Road in various blocks on Jhandewala Estate called Nehru Parbat, Ashok Nagar, Guru Nanak Pura, Tilak Nagar and Ticoni Pahari.

"The Committee noticed that bulk of the constructions in these areas were shacks and very temporary structures."

Besides, there were no proper service roads and the structures were located erratically. The whole area had turned very unhygienic and could be described only as a slum. It was, therefore, held that the constructions as situated here at present could not be regularised and would have to be demolished. The number of eligible displaced persons in this area was estimated to be about 1,000 while the total number of squatters is well above 2,000. The committee examined the development plan prepared by the Delhi Development Authority for this area. This plan provided some areas for schools, a T.B. clinic and the remaining area was proposed to be left green. It was explained to the committee that leaving this green area was essential for development of the city as this space would provide much needed parks for the neighbouring high density development. The committee considered the development plan in detail and finally came to the conclusion that the development plan as prepared by the Delhi Development Authority should be implemented and the squatters in this area should be shifted."

Now I come to the Main Faiz Road about which there was a reference here.

"It was reported that there were about 50 eligible squatters in this area. The structures were mostly of the semi-permanent variety except a temple which structures were actually on road berms. Faiz Road was a very busy road and needed immediate widening for which these structures would have to be pulled down.

The Committee, therefore, recommends that these structures should be demolished immediately so that Faiz Road could be widened and joined to the roundabout with proper curves....".

Now I come to Subhas Nagar. I will take only two or three minutes.

"This area has about 130 eligible refugees. The committee was informed that the D.D.A. was already preparing a re-development plan for this area. It was found that except for a few houses, others were shacks and there was no proper service road. The structures were located pell mell. It was, therefore, considered that it was not feasible to regularise these structures in their present condition."

Going further, the Committee says:

"It was noticed that there were no structures in other areas which could be regularised as they were."

मैं ऐवान से पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट किस ने दी है ? इस कमेटी के सदस्य माननीय सदस्य श्री ठाकुर दास जी भार्गव थे और सुचेता जी थीं जो कि आज कल उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं । उसके सदस्य राधा रमन जी थे । उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी थी, मैंने तो नहीं लिखी । आज मेरे मित्र प्रोफेसर साहब को मेरे ऊपर अफसोस आ रहा है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि मेरे लिये आप क्यों अफसोस करते हैं । यह चीज तो मेरी नहीं है । य चीज तो बहुत पहले की लिखी हुई है । यह वैसी की वैसे पड़ी हुई है । अब आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूं ।

Shri D. C. Sharma: Why should he now refer to the position some years ago?

श्री मेहर चन्द खन्ना : होमी दाजी साहब ने काहा कि यह कानून बहुत खराब है । अफसोस है कि न तो उन्होंने मेरी स्पीच को सुना और न समझा । मैं क्या कर रहा हूं ? नाथपाई साहब ने कहा कि तुम ने इलेक्शन के वक्त आश्वासन दिये थे ।

श्री नाथ पाई : मैंने यह सुना है, मैंने इल्जाम नहीं लगाया ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आपने इलजाम नहीं लगाया तो मैं कहता हूं कि मेरे मित्र उस वक्त भी थे और आज भी पैदा हो रहे हैं । लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं । मैंने इन १५ सालों में, चाहे मैं एडवांसइजर रहा या मंत्री रहा, मैंने कभी किसी से झूठा वायदा नहीं किया । कभी किसी को गलत आश्वासन नहीं दिया । मैंने किसी से झूठी बात नहीं कही । मैं साफ कहने वाला आदमी हूं । मैंने आज तक किसी से गलत वायतद नहीं किया ।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि परसों श्री शिवचरण जी गुप्त ने कहा था कि पहले जब गिनती हुई थी तो उस वक्त २३ हजार या २५ हजार स्क्वाटर्स थे । जब १९६० जुन जुलाई में मर्दुमशुमारी की गयी तो उनकी तादाद ४३ हजार थी और आज ६० हजार के करीब है, ५५ हजार हो या ५० हजार हो ।

अब आप मास्टर प्लान को लें । चाहे दिल्ली का आपको ख्याल हो या न हो, लेकिन चीज यह है कि अगर किसी चीज का प्लांट डेवेलपमेंट होना है । चाहे वह दिल्ली हो या गोरखपुर हो या कोई और जगह हो, वह वगैर प्लान के नहीं हो सकती । लेकिन अगर हम एक तरफ से लोगों को उठाते जायें और दूसरी तरफ से लोग आकर बैठते जायें तो यह प्रवलम कभी खत्म नहीं हो सकता । तो मैंने एक चीज की है, जिसके लिये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसकी मासिबा एक दो सदस्यों के किसी ने सराहना नहीं की । हमने जो स्कीम बनायी है वह यह है कि चाहे वह ५० हजार हो, या ६० हजार या ४० हजार, जिनकी भी मर्दुमशुमारी सन् १९६० में मेरे आने से पहले हुई थी, उनको बसाया जायेगा । यह बात मैंने पहले कही थी और अब भी कहता हूं । अगर उनमें से कोई आदमी रह गया है गलती से, तो हम उसके केस को देखने के लिये तैयार हैं, और उसको शामिल करने के लिये तैयार हैं । जहां हमने पचास हजार या ६० हजार भाइयों को जगह देने का फैसला किया है वहां दो चार आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि अगर आप कहते हैं कि यह प्रावलम्ब खत्म हो तो इस चीज को कहीं पर फीज करना होगा, नहीं तो यह प्राबलम खत्म नहीं हो हो सकता । आप कहें कि १९५० की १९६२ कर दीजिय या १९६३ कर दीजिय, तो यह मेरी समझ में आ सकता है, लेकिन अगर कहा जाय कि हमेंशा यह चीज जारी रहे तो मैं यही अर्ज करूंगा कि यह चीज कभी नहीं चलेगी ।

जब हमने शरणार्थियों को बसाया तो उनकी हर सैक्टर की मर्दुमशुमारी ली, और उसके बाद उनको सैक्टर वाइज साफ किया । तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा यह फैसला है और हम यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को बसा दिया जाय, चाहे इस काम में १२ महीने लगें या पन्द्रह महीने लगें । हमारी ख्वाहिश यही है कि जो हमार भाई इन झुगि झोपड़ियों में पड़े हुए हैं उनको उठा कर हम ऐसी जगह में ले जायें जो हमें शहर से नजदीक से नजदीक मिल सकें । वहां हम इनको ले जाना चाहते हैं और

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

२५–२५ गज के प्लाट बनाकर देना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि आज जो लोग इन झुग्गियों में हैं उनमें २५ गज में कोई नहीं है । उनकी छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, उनमें पानी नही है, रोशनी नहीं है, बच्चो की तालीम का भी कोई बन्दोबस्त नहीं है । और जिन हालात में वह भाई रह रहे हैं वे उनके लिये भी अच्छे नहीं, हैं मेरे लिये भी अच्छे नहीं, सोशलिस्ट सोसाइटी के लिये भी अच्छ नहीं और गवर्नमेंट के लिये भी अच्छ नहीं । वहां से तो उनको उठाना है । वहां बसेंगें तो कैसे बसेंगे ? लेकिन अगर उनको प्लांड तरीके से बसाना है तो उनको ले जाना होगा । मेरी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके उनको ले जाऊं । उनको हम कैम्पिग साइट्स में रखेंगे । उस वक्त अगर कहा जाए कि आप उन के लिये पानी का इन्तजाम कीजिये तो मैं मानता हूं, अगर आप कहें कि उनके बच्चों के लिये तालीम का इन्तजाम कीजिये तो मैं मानता हूं, अगर आप कहें कि उनके लिये रोशनी का इन्तिजाम कीजिये तो मैं उस बात को मंजूर करता हूं । लेकिन एक चीज मुझे कहनी पड़ेगी कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा । जब हम पहले शरणार्थियों को राजेन्द्र नगर और पटेलनगर में ले गए थे तो कहा जाता था कि वहां का पानी खारा है और उससे कपड़ा भी धोए तो जल जाता है । लेकिन आज भगवान की माया है कि जिन शरणार्थियों को हमने वहा पर १२ और १५ रुपये गज पर जमीन मुहइया की, आज व उसको १५० रुपये गज पर बेचने को तैयार नहीं हैं । तो मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग भी बस जायें, चाहे मैंने उनको आशवसन दिया हो या न दिया हो । मैं एक चीज आपको बतला देना चाहता हूं कि मेरे भी दिल है, दमाग है । और मैं इस बात को मानता हूं कि जैसे मुझे अच्छे मकान में रहने का हक है उसी तरह हमारे इन भाईयों कों भी अच्छे मकान में रहने का अधिकार है । मैं अपने भाई प्रोफेसर साहब को यह कहना चाहता हूं कि मैं उनको अच्छी जगह बसाना चाहता हूं । हमने एक करोड़ शरणार्थियों को बसाया है । और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ५० हजार या ६० हजार लोगों को भी जमीन दे कर बसा दिया जाय । अगर यह हाउस मेरा साथ देगा तो मुझे उम्मीद है कि इनको बसा दिया जायेगा । लेकिन उनको ले जाना होगा और ले जाने के बाद उनको ८० गज के प्लाट दिये जायेंगे । २५ गज के प्लाट तो हम उन लोगों को देना चाहते हे जो राजस्थान से आते है और दो चार साल मजदूरी करके चले जाते हैं । लेकिन जो लोग यहां बराबर बसे रहने वाले हैं और वापस नहीं जाने वाले, उनको तो हम ८० गज के प्लाट देंगे । उनके लिये तो हम टिनेंमेंट बनवाने का भी विचार कर रहे हैं ।

जहां तक गवर्नमेंट की पालिसी है गाडगिल साहब का जो एश्योरेंस था उसको सोलहो आना पूरा किया गया है । अगर उनमें से कोई भाई ऐसे हैं जो कि वहां नहीं रह सकते और उनको हटना है तो क्या आप नहीं मानेंगे कि उनको वहां से हटाया जाय ? जहां सड़क बन रही है क्या आप कहेंगे कि वहां सड़क मत बनाइये ? जहां पर एक क्लीनिक बनना है क्या वहां के लिये आप कहियेगा कि वहां क्लीनिक न बनाइय ? अब वह भाई जो कि १९५० से बैठे हैं, १३ वर्ष से उनका नाजायज कब्जा है, अगर वह कहना मान लेते तो जहां वे राजेन्द्र नगर और पटेल नगर में बस सकते थे अब ज़रा उनको दूर जाना पडेगा बाकी और कोई चीज़ नहीं है ।

माननीय सदस्यों को सरकारी जमीन व इमारतों आदि पर गैर-कानूनी तौर से जो लोग कब्जा जमाये हुए हैं उस बड़ी प्राबलम को अपने सामने रखते हुए इस समस्या पर विचार करना चाहिये । प्राबलम क्या है ? पबलिक प्रिमिसीज के उपर नाजायज कब्जा होना और उनको वहां से उठा कर दूसरी जगहों पर बसाना । गवर्नमेंट ने यह चीज़

मानी है कि सन् १९६० के पहले से जो लोग पबलिक प्रीमिसेज़ या जमीनों पर बैठे हुए हैं, उनको हम वहां से हटा कर आलटरनेटिव एकोमोडेशन देंगे । अब रही यह बात कि उनको ८० गज़के प्लाट्स न दिये जाकर १६० गज के दिये जाय, या २२० गज के प्लाट्स दिये जायें तो साहब यह मेरे बस की बात नहीं है । इसी तरह अगर कोई साहब मुझ से यह चाहे कि मैं सेंट्रल बिस्टा पर झुग्गियां झोपड़ियां बनाने दूं तो मैं यह नहीं कर सकता । अलबत्ता उनको दूसरी जगह देते वक्त हमारी यह कोशिश रहेगी कि जितनी नजदीक जगह दी जा सके वह उनको दी जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि जहां उन लोगों का कारोबार है उसके नजदीक आलटरनेटिव जगह उन्हें मिले । जसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मूझे जहां उनके काम की जरूरत है वहां मुझ उनके प्यार की भी जरुरत है । मैं यह नहीं चाहता कि जो गरीब आदमी है, मेरा घर बनात हैं, जो मेरे लिए अशोका होटल वगैरह बनाते हैं, उनके रहने का इंतजाम न हो । अशोका होटल तो इतना अच्छा हो लेकिन नीति मार्ग और भैरों मंदिर में उन गरीब मजदूरों के लिये रहने की जगह न हो तो मुझे यह देख कर बड़ी तकलीफ होती है । हम उन के लिये जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं । हम ने ७८०० फम्मिलीज़ को उठाया जिसमें से ७१०० को हमने जगह दी है । सिर्फ ७०० को नहीं माना है । यह ७०० फम्मिलीज़ वह फैम्मिलीज़ हैं जो कि जून-जुलाई सन् १९६० से बाद के हैं । मैं यह चीज़ बिल्कुल साफ कर दना चाहता हूं कि यह जो एक मुगालता फैलाया जा रहा है कि हम गरीब आदमियों की झुग्गी झोपड़ियां गिराना चाहते हैं बर्बाद करना चाहते हैं या कबरिस्तान में जिस तरह से से आदमी रहते हैं उससे भी खाब रिहायशी इंजतजाम हम देना चाहते हैं, यह दुरुस्त नहीं है । श्री बारूपाल और श्री बाल्मीकी मेरे साथ घूमे हैं व इससे बाखूबी वाकिफ हैं । अगर कोई माननीय सदस्य मेरे साथ चलना चाहें तो मैं उनको दिखला सकता हूं कि डिफेंस कौलिनी के पास नाले के ऊपर १००० या १२०० फैम्मिलीज़ रह रही हैं । अब जाहिर है कि वे फैमिलीज़ वहां पर किसी हालत में भी नहीं रह सकती हैं । इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि जहां हमारे बापू जी रहा करते थे, भंगी बस्ती, वहां हरिजन रहते हैं । मुझे उनके साफ बहुत प्यार है । लेकिन मैं जानता हूं कि उस जगह पर नाला चलता है । अब नाले के साथ गंदगी चलती है और वह ऐसी गंदी जगह में नहीं रह सकते हैं । मैंने तो गुजारा किया । मेरे भाइयों ने गुजारा किया लेकिन उनके बच्चों की तो हमें चिन्ता करनी ही होगी जिनके कि बारे में यह कहा जाता है कि आज का बच्चा कल का नेता है । जाहिर है कि इन हालात में जैसे कि आजकल रह रहे हैं, व अच्छे और तन्दुरुस्त नागरिक नहीं हो सकते हैं । इस लिये हम उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन समझने की चीज यह है कि जैसा कि कुछ लोगों के जरिये हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि उनको उजाड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, वह दुरुस्त नहीं है बल्कि हम उनको बसाने के लिये कोशिश कर रहे हैं ।

हमारे जनसंघ के लीडर साहब ने दुरुस्त ही कहा कि आज हमें उनको उठाने की जो नौबत पड़ी, अगर पहले ही जरा इस बारे में सोच लेते और ऐसी कुछ कार्यवाही करते, ऐसे मेजर्स लेते जिनको प्रीवैंटिव मेजर्स कहते हैं, तो बिला शक हमें आज इस तकलीफ का सामना न करना पड़ता । उन्होने इस बिल का समर्थन किया है बिल के खिलाफ व नहीं बोले लेकिन यह कहा कि अगर तुम यह पहले कर लेते तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती । जनाबवाला, मैं आप के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि रामकृष्णपुरम् हम दो, तीन वर्ष से बना रहे हैं । वहां सरकारी अफसरों के लिये मकान बना रहे है, दफ्तर भी बहुत बना रहे है । मैं इस ईवान के सामने कहना चाहता हूं कि पिछले दो, तीन वर्षों

]श्री मेहर चन्द खन्ना]

हम ने २० दफे डिमोलिशन स्कुवैड्स भेजे लेकिन फिर भी हालत ज्यों की त्यों है । मेरे साथ सदस्य चलें तो मैं उनको दिखला सकता हूं कि रामकृष्णपुरम् जिसे कि बनते २, ३ वर्ष से ज्यादा नहीं हुए हैं, वहां १००० या १२०० खोखे गैर कानूनी तौर पर आपको ने हुए मिलेंगे । यही हालत आई० एन० ए० कौलिनी की है । दस दफे गैर कानूनी खोखों और झुग्गी वगैरह को गिराया गया लेकिन वे अब भी कायम हैं । नीति मार्ग में २० दफे उनको गिराया गया । मोती बाग में ६ दफे गिराया गया । पूसा रोड में ६ दफे इन झुग्गी झोपड़ियों और खोखों को गिराया गया । दिल्ली में एक आदत सी पड़ गयी है कि आज हमने उनको जाकर गिरा दिया और कल उन लोगों ने फिर उसी जगह उनको ड़ा कर लिया । अब इस में एक बात तो यह है कि जहां तक इस एक्ट का ताल्लुक था, इस को मजबूती के साथ अमल में दहीं लाया गया । अगर मजबूती से इस पर अमल किया जाता तो दुबारा स्क्वटिंग नहीं होती ।

एक माननीय सदस्य । इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं जिम्मेदार हूं, इस लिये आप के पास आयाहूंऔर अपनी गलती का एतराफ करता हूं । अगर पूरे तरीके से अमल किया जाता तो आज मुझे इस अमेंडिंग बिल को लेकर हाउस में आने की जरूरत महसूस नहीं होती । मैं अपनी गलती से इंकार नहीं करता हूं । मैं उसे मानता हूं ।

मैं जिक्र कर रहा था कि यहां दिल्ली में पहले स्कुवैटिंग होती है और आज उन को हटा दिया जाता है लेकिन कल वे फिर अपनी पुरानी जगहों पर झुग्गी खड़ी करके जम जाते हैं और फिर रिस्कुवैटिंग हो जाती है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस मियाद को बढ़ाने की बात कही है । अब चाहे ३० दिन हो, १५ दिन हों, ४५ दिन हों या ६० दिन हों, अगर किसी आदमी के दिल में यह ख़याल ही नहीं है कि मैं ने उठना है और उसे कोई ताक़त उठा नहीं सकती भले ही आप ३० दिन करें, ४५ दिन करें, ६० दिन करें या और ज्यादा मुद्दत रक्खें । उस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इंजंक्शंस के मुताल्लिक़ यह कह दिया कि सरकार उन पर पाबन्दी लगा कर इंतिहाई जुल्म कर रही है । कोर्ट के इस हक़ को छीन कर सरकार जनता को उसके बुनियादी हक़ से यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने और इंजंक्शन लेने से महरूम कर रही है । एक भाई ने कांस्टीट्यूशन का भी हवाला दिया । मैं उन भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि वे ज़रा गहराई से मौजूदा एक्ट और इस अमेंडिंग बिल की स्टडी करें । मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में पढ़ देना चाहता हूं ताकि यह चीज ज़रा साफ़ हो जाय ।

Section 10 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 reads as follows:—

> "Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by an estate officer or appellate officer under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceedings."

That is how the section stands at the present moment. The object of this section was that all cases under this Act will be heard and disposed of by the estate and appellate officers appointed under the Act and civil courts would have no jurisdiction in such cases. This was done to expedite the eviction of unauthorised occupants of public premises which is the main objective of the Act. Nevertheless, the interests of the parties were safeguarded by providing under section 9 of the Act that the appellate officer shall be the District Judge of the District in which the public premises

are situated or such other judicial officer in that District of not less than ten years' standing as the District Judge may designate in this behalf. That is the provision. Experience has, however, shown that despite the provision of the said section 10, the parties have resorted to civil suits and the latter have issued injunctions staying eviction proceedings against them.

Now, I would like to give the House a dozen or two cases which are rather illustrative. In one case an injunction was obtained while the proceedings were pending before the Estate Officer. This injunction was obtained on the 5th January, 1962 and is still continuing. In 16 cases injunctions were obtained after orders had been passed by the estate officers. Of these seven were dismissed after a period of six to nine months, the remaining nine are still continuing. In seven cases injunctions were obtained after the cases had been decided by the appellate officers. Out of these , one case was dismissed after a period of one year and one month; the remaining six are still continuing. Of these, one case is three years and four months old and four cases are 1 to 1½ years old.

It would be observed that the injunctions of civil courts have considerably delayed the eviction proceedings in the above cases.

I have one more typical case before me where injunction was taken in the first instance, in the second instance and things have gone on.

जैसा मैं ने अर्ज़ किया स्टेट आफिसर्स के सामने प्रोसीडिंग्ज़ होती हैं, वाक़ायदा प्रोसीडिंग्ज़ होती हैं । अब उन स्टेट आफिसर्स के बारे में प्रोफेसर साहब कुछ भी फरमायें, उनको जो भी चाहें, कहने का पूरा हक़ है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि उन बेचारों के ऊपर हम ने तमाम चीज़ नहीं छोड़ी हुई है । चाहे वे ग्लोरीफ़ाइड हों या अनग्लोरीफ़ाइड हों, चाहे पावर एबसैल्यूट हो या न हो लेकिन हम ने यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज जिसकी कि टैन ईयर्ज से कम की स्टैंडिंग नहीं होगी, उस के सामने अपील हो सकती है । उस के बाद तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है । कोई भी रिट लेना चाहे, तो ले सकता है । मैं इस ऐवान के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि या तो वे कह दें कि दिल्ली में स्क्वैटिंग हो, हमें कोई इन्कार नहीं है, दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियां रहें, हमें कोई इन्कार नहीं है, कैपिटल का डवलपमेंट न हो, हमें कोई इन्कार नहीं है, दिल्ली के मास्टर प्लान को—गो कि मेरा उस से कोई ताल्लुक नहीं है—हम नहीं मानते हैं, रेजिडेंशल एरिया बिजिनेस एरिया बन जाये, ग्रीन खत्म हो जाये, हमें उस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कहते, तो इन बातों की इजाज़त नहीं दी जा सकती है । यह तो मुल्क का कैपिटल है, ऐसा तो किसी भी शहर में नहीं हो सकता है । मेरे लिए यह कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि आज मुझ उन लोगों को उठाने के लिए कोसा जाये, जब कि मैं उन लोगों का भला करना चाहता हूं । जब मैं ने शरणार्थियों को चांदनी चौक और कनाट प्लेस से उठाना चाहा था, तो इस सदन में मुझे बुरा-भला कहा गया था । आज भी वही हालत है । लेकिन मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है, तीन बरस के बाद वही बात कही जायेगी, जो कि आज शरणार्थियों के मुताल्लिक कही जा रही है । जिस ने भी कोई काम करना है, उस को तकलीफ़ उठानी पड़ेगी । यह तो करना पड़ेगा । लेकिन इस बारे में देखना यह है कि ह्यूमैन कनसिडरेशन हो, देखना यह है कि उन लोगों को आल्टरनेटिव एकामोडेशन दी जाये, देखना यह है कि उन के लिए जो भी जायज़ इन्तजाम हो सकता है, पानी बिजली वगैरह का, वह किया जाये ।

इस सदन के सामने जो यह एमेंडमेंट आई है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये, मैं इस को मानने के लिए

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

तैयार नहीं हूं—इस लिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मासिवाये इस के कि इस को डीले किया जाये, इस का और कोई मतलब नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस को दस दिन में कर दिया जाये ।

श्री मे. रचन्द खन्ना : उस से फ़ायदा क्या है ? माननीय सदस्य इस बिल के प्रिंसिपल को मानते हैं, इस की ज़रूरियात को भी मानते हैं । इस बारे में जो दो तीन छोटी छोटी एमेंडमेंट्स दी गई हैं, उन के बारे में मैं ने स्थिति को साफ़ कर दिया है । केस के दौरान में इंजंक्शन लेने का मतलब यह है कि डीले किया जाये और जो आज होना है, उस को साल, दो साल के बाद किया जाये । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो लोग यह कह रहे हैं, व झुग्गी-झोंपड़ी वालों या अनएथा-राइज्ड स्क्वैटर्ज़, जो लोग कानून के ख़िलाफ़ पब्लिक प्रिमिसिज़ में बैठ हुए हैं, उन के दोस्त नहीं है । दोस्त तो हम हैं, जो उन को वहां से उठाना चाहते हैं, इस लिए कि उन को बसायें । हम उन को उठाना चाहते हैं, ताकि दोबारा यह चीज़ पैदा न हो और आईन्दा के लिए उन के बच्चों की ज़िन्दगी अच्छी हो जाये ।

इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस हाउस से उम्मीद करता हूं कि मैं ने इस बिल की शक्ल में जो छोटी मोटी एमेंडमेंट्स रखी हैं, उन को मन्ज़ूर कर लिया जायेगा ।

Mr. Deputy-Speaker: I will first put the amendment to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Shri Bhagwat Jha Azad, Shri Ramachandra Vithal Bade, Shri K. L. Balmiki, Shrimati Renu Chakravartty, Shri Tridib Kumar Chaudhuri, Shri Homi F. Daji, Shrimati Subhadra Joshi, Shri Hari Vishnu Kamath, Sardar Kapur Singh, Shri Mehr Chand Khanna, Dr. Manohoar Lohia, Shri Bibudhendra Misra, Shri Diwan Chand Sharma and Shri S. M. Banerjee with instructions to report by the 1st day of the next session".

Those in favour may kindly say 'Aye'.

Some Hon. Members: Aye.

Mr. Deputy-Speaker: Those against may kindly say 'No'.

Several Hon. Members: No.

Mr. Deputy-Speaker: The 'Noes' have it, the.....

Some Hon. Members: 'Ayes' have it.

Mr. Deputy-Speaker: You want to have a division on this?

Shri S. M. Banerjee: Yes.

Shri Hari Vishnu Kamath: Yes, of course. It is an important Bill. And we cannot have a division till half past two.

Mr. Deputy-Speaker: Shall we proceed further? Do you want a division?

Shri Hari Vishnu Kamath: Yes, of course.

Mr. Deputy-Speaker: So, this will be held over.

Shri S. M. Banerjee: He should have accepted it.

Shri Mehr Chand Khanna: Some other item may be taken up in the meanwhile.

Mr. Deputy-Speaker: We will take up the next item. This will be held overtill half past two.